तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15-05-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21-05-2025 को पेश हो।
21-05-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 19/2025 | पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 07.03.2025 | श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

रमेशचन्द पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, राज0। –प्रार्थी

बनाम

1.श्री गोपाल आ0 बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0।
2.श्री रामलाल सैनी आ0 हजारीलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0। –अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री धीरज जैन(अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थिगण अनुपस्थित

दिनांकः– 21 .05.2025

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या 819 के खसरा संख्या 1164 रकबा 0.08हैक्टर,खसरा संख्या 1165 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 1166 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1167 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 1168 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1195 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 4552/1190 रकबा 0.03है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.28है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषिभूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त है। प्रार्थी की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थी की कृषि भूमि में दखलांदाजी करते है व जबरन प्रार्थी की कृषिभूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो तथा भूमि सुरक्षित रहे इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का सीमांकन करवा कर पत्थगढ़ी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि की पत्थगढ़ी की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं कर पत्थगढ़ी करने में अनापत्ति जाहिर की।

हमारे द्वारा पत्रावली पर प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषिभूमि की पत्थगढ़ी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि खाता संख्या 819 के खसरा संख्या 1164 रकबा 0.08हैक्टर,खसरा संख्या 1165 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 1166 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1167 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 1168 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1195 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 4552/1190 रकबा 0.03है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.28है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषिभूमि है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का दिनांक 18.02.2025 को सीमाज्ञान करवाया गया है। हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषिभूमि खाता संख्या 819 के खसरा संख्या 1164 रकबा 0.08हैक्टर,खसरा संख्या 1165 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 1166 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1167 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 1168 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 1195 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 4552/1190 रकबा 0.03है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.28है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का उभयपक्ष की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21 .05.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)